

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक-एफ.1(48)परि./स्था./92 पार्ट-1/

जयपुर, दिनांक


आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.03.2018 को सम्पन्न हुई। समिति की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित निजी सहायक को वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

|                         | <u>पदोन्नति वर्ष</u> | <u>रिक्ति तिथि</u> |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. श्री शंकर लाल दुडिया | वर्ष 2015-16         | 01.04.2010         |
| 2. श्री बृजमोहन चूलेट   | वर्ष 2016-17         | 01.08.2016         |

उक्त कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ रिक्ति की तिथि से काल्पनिक व कार्यग्रहण करने की तिथि से नकद लाभ देय होगा।

पदोन्नत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्य करते रहेंगे।


  
(डॉ मनीषा अरोड़ा)  
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक-एफ.1(48)परि./स्था./92 पार्ट-1/6637-6754

जयपुर, दिनांक 21/4/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव महोदय
3. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव
4. संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी-----
5. संबंधित कार्मिक -----
6. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली

  
(सत्तार खान)  
उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन)